

कार्यालय : उपनिदेशक (कल्याण) विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली जल बोर्ड
वरुणालय भवन "बी" बिल्डिंग, नई दिल्ली-5

दिजबो/उनि(श्र.क.)म.डिस्पें./2014 / 71556


दिनांक 27/5/14

उपनिदेशक (श्रम कल्याण) के आदेशानुसार महरोली डिस्पेंसरी को अविलम्ब शुरू करने हेतु समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों के द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत महरोली डिस्पेंसरी के लिए फर्नीचर, दवाईयों, स्टाफ और स्थान आदि की भी व्यवस्था हेतु संबंधित कार्यालयों द्वारा उचित कार्यवाही करते हुए दर्शायी गयी समस्त सामग्री आदि की व्यवस्था की गई है।

औखला डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधिकारी को सहा.आयुक्त(डी) के कार्यालय आदेश सं. 136 दिनांक 16.5.2014 के अनुसार प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार एवं शुक्रवार को महरोली डिस्पेंसरी में मरीजों को देखने हेतु आदेश जारी किये गये हैं।

अतः उपनिदेशक (श्रम कल्याण) के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार चिकित्सा अधिकारी, औखला डिस्पेंसरी, शीघ्र ही महरोली में डिस्पेंसरी के लिए आवश्यक सामग्री सहा.आयुक्त (जल) तथा सहा.आयुक्त (जी.ए.बी.) के कार्यालय से संपर्क कर शीघ्र प्राप्त करें।


महरोली डिस्पेंसरी के दो कमरों की दो-दो चाबियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं।


मुख्यलिपिक (श्रम कल्याण) 27/5/14

चिकित्सा-अधिकारी (औखला डिस्पेंसरी)

प्रति सूचनार्थ :

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निजी सचिव,
2. सदस्य (प्रशासनिक), सदस्य (वित्त), सदस्य (ड्रे.) सदस्य (जल), मुख्यसतर्कता अधि०/सचिव-दि.ज.बो./अति० मुख्यकार्यकारी अधिकारी/मुख्य-अभियन्ता/अधीक्षण-अभियन्ता/निदेशक -प्रशा०, वित्त, सतर्कता राजस्व /सं.निदेशक/सह.आयुक्त / उपनिदेशक /सभी प्रशासनिक अधि० /सभी क्षे.रा.अधि./सभी चिकित्सा अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी (वरुण पत्रिका में छापने हेतु)
3. समस्त विभागाध्यक्ष। 4. अधि.अभियन्ता (ई.डी.पी.) उचित कार्यवाही हेतु।


मुख्यलिपिक (श्रम कल्याण) 27/5/14



Sh. Sanjay Pradhan


G-6-10

EXECUTIVE ENGINEER (EDP)

DIARY No. 1914

DATE 05/6/14